सं०सं०-एम-4-12/2015................/वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक..............

विषय :- गृह विभाग के विशेष शाखा अंतर्गत **Apex Training Centre** के नियंत्री पदाधिकारी पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन के संबंध में ।

वित्त विभागीय संकल्प सं0-6867/वि0, दिनांक-21.08.2019 द्वारा बिहार पुलिस अकादमी के निदेशक को वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है । गृह (आरक्षी) विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के समीक्षोपरांत गृह विभाग के विशेष शाखा अंतर्गत Apex Training Centre के नियंत्री पदाधिकारी पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक को निम्न रूपेण शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है :-

गृह विभाग के विशेष शाखा अंतर्गत Apex Training Centre के प्रथम श्रेणी के संसाधन व्यक्ति के लिए ₹2000/-(दो हजार रूपये) प्रति घंटा, द्वितीय श्रेणी के संसाधन व्यक्ति के लिए ₹1500/- (एक हजार पाँच सौ रूपये) प्रति घंटा एवं तृतीय श्रेणी के संसाधन व्यक्ति के लिए ₹1200/ (एक हजार दो सौ रूपये) प्रति घंटा मानदेय तथा स्थानीय संसाधन व्यक्तियों को छोड़ कर बाहर से आने वाले संसाधन व्यक्तियों के लिए ₹800/- (आठ सौ रूपये) प्रतिदिन वाहन किराया भत्ता स्वीकृत करने की शक्ति Apex Training Centre के नियंत्री पदाधिकारी पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक को प्रदान की जाती है । साथ ही संसाधन व्यक्तियों के श्रेणीकरण की शक्ति Apex Training Centre के नियंत्री पदाधिकारी पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक (IPS) को प्रत्यायोजित की जाती है ।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(ओम प्रकाश झा)

अपर सचिव

ज्ञापांकः-एम-4-12/2015................/वि०, पटना, दिनांक..................

प्रतिलिपिः-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

अपरसचिव

ज्ञापांकः-एम-4-12/2015.....10358..../वि०, पटना, दिनांक....27-12-19

प्रतिलिपिः-अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना को गृह विभाग की संचिका सं0-8/विविध-10-46/2019 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष शाखा, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

27/12/19

अपर सचिव